प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 24.06.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में सुरक्षा व सतर्कता के दृष्टिगत

न्यायालय परिसर में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व वस्तुओं की गई सघन चेकिंग..।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर आज दिनांक 24.06.2024 को एएस चेक टीम बांदा, डॉग स्क्वॉयड एवं एलआईयू महोबा व न्यायालय सुरक्षा की संयुक्त टीम द्वारा सुरक्षा सतर्कता के दृष्टिगत न्यायालय परिसर महोबा में सघन चेकिंग की गई।

न्यायालय परिसर के सभी गेटों पर पुलिस बल तैनात कर हर आने-जाने वाले शख्स की जांच कराई गई। संदिग्धों की तलाशी लेते हुए उनसे आने का कारण पूछा गया। न्यायालय परिसर में लॉकअप, पार्किंग,एवं मैन गेट पर आने जाने वाले लोगों से पूछताछ कर उनका वैरीफिकेशन कराया गया। वहीं आने जाने वाले वाहनों को वैरियर लगाकर चैक किया जा रहा था। इसके अलावा स्कैनर से बैग/वस्तुओं व अन्य सामान की चैकिंग करने के बाद ही व्यक्तियों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं न्यायालय के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी चेक किया गया, चेकिंग के दौरान किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक/संदिग्ध वस्तु बरामद नही हुई।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 24.06.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा की निर्देशन में बाल किशोर पुलिस इकाई की हुई गोष्ठी, जिसमें गुमशुदा/अपहृत बच्चों की बरामदगी, बाल विवाह, बालश्रम, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम एवं पॉक्सो एक्ट से संबंधित प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश-

आज दिनांक 24.06.2024 को जनपद महोबा के रिज़र्व पुलिस लाइन में स्थित सभागार कक्ष में पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री सत्यम की अध्यक्षता में क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे (नोडल अधिकारी), क्षेत्राधिकारी लाइन/कार्यालय सुश्री हर्षिता गंगवार की संयुक्त अध्यक्षता में एसजेपीयू एवं एएचटीयू की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक संपन्न की गई । जिसमें महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी एसओपी अनुसंधान एवं थानों पर नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/ विवेचक के समक्ष आ रही समस्या, पीड़िता के आवासन, बाल श्रम, नशामुक्त आभियान, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम, लैगिंग समानता, नारी शक्ति, बच्चा चोरी के अफवाहो पर जारी डीजी परिपत्र, किशोर न्याय अधिनियम 2015 मे हुए नवीनतम संशोधन, पॉक्सो एक्ट के मुकदमे पंजीकृत करते समय कार्यवाही और बाल कल्याण अधिकारी के कर्तव्य और दिशा-निर्देश का पालन आदि के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, बाल संरक्षण, वर्तमान बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्यगण, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी महोबा,शिक्षा विभाग, जिला प्रोबेशन अधिकारी, श्रम पर्वतन अधिकारी, प्रभारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जनपद महोबा, जी0आर0पी0 ,जिला अभियोजन कार्यालय ,महिला थाना / एस0 जे0 पी0यू0 प्रभारी.निर्देशक चाइल्ड लाइन महोबा के साथ-साथ सभी थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/कर्मचारी गण उपस्थित रहे।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 24.06.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

- **पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद के समस्त थानो की एण्टी रोमियों टीमों द्वारा चलाया गया 'मिशन शक्ति' एवं 'शक्ति दीदी' अभियान।**
- **महिलाओं/बालिकाओं से वार्ता कर पंपलेट आदि के माध्यम से विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों एवं महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए किया जागरुक।**

महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा, सम्मान, स्वावलमंबन, सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 24.06.2024 को मिशन शक्ति अभियान (फेज-04) के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा के समस्त थानों की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में पड़ने वाले गांवों/कस्बो, बाजारों, सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थलों आदि के आस-पास मिशन शक्ति एवं शक्ति दीदी अभियान के अन्तर्गत महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक किया गया।

अभियान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं/बालिकाओं के लिए समर्पित विभिन्न सेवाओं/हेल्पलाईन नम्बरों (ट्वीटर सेवा, डॉयल-**112,** हेल्प लाइन-**181,** वुमेन पावर लाइन-**1090,** चाइल्ड हेल्प लाइन-**1098,** सी0एम0 हेल्पलाइन-**1076,** वन स्टॉप सेन्टर-**181,** स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन-**102,** एंबुलेंस सेवा-**108** आदि) तथा जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने पर महिला हेल्प डेस्क आदि के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए पंपलेट आदि के माध्यम से जागरुक किया गया तथा महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओँ (निराश्रित महिला पेंशन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, आयुष्मान योजना, महिला शक्ति केन्द्र योजना आदि) के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए जागरुक किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 24.06.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कबरई द्वारा थाना कबरई क्षेत्रान्तर्गत नशे से आजादी पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत "नशा मुक्ति" रैली निकालकर आमजन को जागरुक किया गया ।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर "नशे से आजादी" पखवाड़ा कार्यक्रम एवं "नशा मुक्ति" जागरूकता अभियान के तहत नशा मुक्ति हेतु चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला के क्रम में आज दिनांक 24.06.2024 को प्रभारी निरीक्षक कबरई श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा थाना कबरई क्षेत्रान्तर्गत नशे से आजादी पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत स्थानीय पुलिस बल व थानाक्षेत्र के संभ्रात व्यक्तियों (चेयरमैन, मण्डल अध्यक्ष कबरई) एवं नागरिकों के साथ मिलकर कस्बा कबरई में नशे के विरुद्ध एक विशेष जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली गई तथा आमजन को जागरुक करने हेतु नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया।

प्रभारी निरीक्षक कबरई ने कस्बा कबरई के मुख्य बाजारों/कस्बों प्रमुख भीड-भाड़ वाले स्थानो में नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन पोस्टर-बैनर के साथ किया गया । इस दौरान नारों के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों से आम लोगों को जागरूक करने का काम किया गया ।

पुलिस ने समाज में निरंतर फैल रहे नशे को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी नशे को लेकर खासी प्रभावित है। इसे बचाने के लिए समाज के हर वर्ग को सामने आना होगा, नहीं तो समाज को नशे के दुष्परिणामों का सामना करना पड़ेगा तथा समाज के हर वर्ग से नशा को मिटाने में सहयोग की अपील करते हुए नशामुक्ति अभियान में भागीदारी देने की अपील करते हुए कहा कि नशे के कारोबारियों की सूचना पुलिस की दी जाए ।

क्षेत्राधिकारी चरखारी द्वारा थाना श्रीनगर का किया गया आकस्मिक निरीक्षण, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दिये गये निर्देश।

आज दिनांक 24.06.2024 को क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकांत गौड़ द्वारा थाना श्रीनगर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया है, निरीक्षण के दौरान थाना श्रीनगर के सम्पूर्ण परिसर (आवास, बैरक, मेस, सीसीटीएनएस कक्ष, शौचालय, स्नानागार इत्यादि) का भ्रमण किया गया तथा भोजनालय की साफ-सफाई व भोजन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये।

इसी क्रम में थाना श्रीनगर में लंबित विवेचनाओं, आईजीआरएस, शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण एवं अपराधियों के विरुद्ध जारी **NBW/BW**, हिस्ट्रीशीटर, सक्रिय अपराधी, टॉप 10 अपराधियों के खिलाफ की गई प्रभावी कार्यवाही इत्यादि की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये तथा थाना क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु रात्रि में चौराहे/तिराहे पर चेकिंग करके अपराधियों के संचरण पर रोक लगाने सहित अन्य अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों का भौतिक सत्यापन करने, अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की तस्करीं व क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

इस अवसर पर प्रभारी निरीक्षक श्रीनगर श्री शिवपाल सिंह सहित थाना श्रीनगर में नियुक्त अन्य अधि./कर्म. उपस्थित रहे।